संख्या: 155 /2021/ 1710 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 30 सितम्बर, 2021

विषय: स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहॉपुर के विद्युत संयोजन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 1454/सं0नि0-1(151)/2020-21, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या- 139/2021/1494/चार-2021 दिनांक 25 अगस्त, 2021 द्वारा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहांपुर के 80 कि0वा0 विद्युत भार का विद्युत संयोजन हेतु धनराशि रू0 29,23,472.00 (रू0 उनतीस लाख तेईस हजार चार सौ बहत्तर मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में संस्कृति निदेशालय द्वारा रू0 58,469.00 की आयकर कटौती के पश्चात् अवशेष धनराशि का भुगतान किया गया है। संस्कृति निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि आयकर कटोती की धनराशि रू0 58,469.00 की रिकवरी हेतु मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, लखनऊ से अनुरोध किया गया है। इसके अग्रेतर संस्कृति निदेशालय द्वारा कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहांपुर का लोकार्पण दिनांक 31 अक्टूबर, 2021 को प्रस्तावित है।

3- अत: उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति निदेशालय के प्रस्तावानुसार स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शाहजहांपुर के 80 कि0वा0 विद्युत भार का विद्युत संयोजन हेतु रू0 58,469.00 (रू0 अट्ठावन हजार चार सौ उनहत्तर मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 139/2021/1494/चार-2021 दिनांक 25 अगस्त, 2021 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(3) आयकर कटौती की धनराशि रू0 58,469.00 विभाग के सुसंगत मद में वापस प्राप्त की जायेगी।

(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-106-संग्रहालय-13-शाहजहॉपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य मद से वहन किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 155 /2021/ 1710 (1) /चार-2021 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया पत्र दिनांक 23.09.2021 के अनुसार नियमानुसार धनराशि रू0 58,469.00 वापस प्राप्त कर शासन को अवगत करायेंगे।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया पत्र दिनांक 23.09.2021 के अनुसार नियमानुसार धनराशि रू0 58,469.00 वापस प्राप्त कर शासन को अवगत करायेंगे।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in